बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज

बनाम

एन. अनंतैया और अन्य

अप्रैल 4, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

सेवा कानून-चयन-निजी सहायता प्राप्त कॉलेज-लाइब्रेरियन का पद-1992 के G.O.Ms के योग्यता निर्धारण के संदर्भ में कहा गया कि जी. ओ. Ms को 1992 को G.O.Ms 1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र पत्र 31-8-2000 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती G.O.Ms के संदर्भ में चयन समिति को मौजूदा प्रक्रिया का अगले आदेश तक पालन किया जाना था- निर्धारित व्याख्याः परिपत्र के कारण न तो बाद के G.O.Ms के प्रभाव को हटाया गया और न ही बाद के G.O.Ms को फिर से लिया गया कहा जा सकता है। पहले के G.O.Ms द्वारा प्रतिस्थापित किया गया-केवल पहले के G.O.Ms में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया था-बाद के G.O.Ms कार्य क्षेत्र में लागु किया गया।

अपीलार्थी एक निजी सहायता प्राप्त महाविद्यालय है जिसमें लाइब्रेरियन का पद खाली हो गया था। लाइब्रेरियन के पद के लिए योग्यता जी. ओ. Ms No.12 दिनांक 10.10.1992 के संदर्भ में निर्धारित की गई थी। उक्त जी. ओ. Ms को जी. ओ. Ms संख्या 208 दिनांक 29.6.1999 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चयन प्रक्रीया से सम्बिन्धत सवाल पर राज्य सरकार ने अपने परिपत्र पत्र 31-08-2000 के माध्यम से स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती G.O.Ms के संदर्भ में व उसी अनुसार चयन की प्रकिया को समिति के आगामी आदेश तक पालन किया जाना था।

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या 31.8.2000 दिनांकित परिपत्र पत्र के कारण बाद के जी. ओ. Ms को लागू किया गया और कहा जा सकता है कि उक्त G.O.Ms को पहले के G.O.Ms के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।

याचिकाओं को अदालत ने खारिज किया।

अभिनिर्धारित- 1.1. G.O.Ms संख्या 12 दिनांकित 10.1.1992 को G.O.Ms के स्थान पर G.O.Ms सं. 208 दिनांकित 29.6.1999 प्रतिस्थापित। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए बाद के G.O.Ms दिनांकित 29-06-1999 में योग्यताएँ निर्धारित की गई। जी. ओ. Ms संख्या 208 दिनांकित 29.6.1999। उक्त जी. ओ. प्रभावी रहेगा। [पैरा 10] [875-सी-डी]

1.2. 31.8.2000 दिनांकित परिपत्र पत्र के कारण, आयुक्त और महाविद्यालयी शिक्षा निदेशक ने केवल यह निर्धारित किया कि चयन समिति के गठन या अन्यथा के संबंध में मौजूदा प्रक्रिया का पालन अगले आदेश तक किया जाना चाहिए जैसा कि G.O.Ms संख्या 12 दिनांक 10.1.1992 में कहा गया है। परिपत्र पत्र के कारण न तो जी. ओ. Ms संख्या 208 का प्रभाव हटा लिया गया था और न ही उक्त G.O.Ms को फिर से दिनांक 10.01.1992 G.O.Ms 12 द्वारा प्रतिस्थापित केवल पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया गया था। [पैरा 11] [875-डी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 121/2007

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के दिनांकित 22.08.2006 निर्णय और आदेश रिट अपील संख्या 1403/2003

तथा

सीए 123/2007

अपीलार्थी की ओर से ए. सुब्बा राव, अन्नम D.N. राव।

उत्तरदाताओं की तरफ से पी. एस. नरसिम्हा, जी. गिरीश कुमार और के. नोबिन सिंह।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा जे. द्वारा दिया गया थाः

1. ये अपीलें एक दिनांकित आदेश 22.8.2006 के विरूद्ध दायर की गई थी, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रिट अपील सं. 1043/2003 में पारित किया गया जिसके तहत उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी गई थी, के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं।

22.8.2006 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रिट अपील सं. 1043/2003 में पारित किया गया और जिसके तहत 1999 की रिट याचिका सं. 44 में पारित उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।

2. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी संस्था में व्याख्याता का पद खाली हो गया। अतः उक्त पद धारण करने के लिए योग्यता आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा निर्धारित की गई है क्योंकि यह संस्थान एक निजी सहायता प्राप्त संस्थान है। 16.11.84 G.O.Ms संख्या 491 को या उसके आसपास आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाइब्रेरियन के पद के लिए योग्यता निर्धारित करते हुए जारी किया गया था।

निम्नलिखित शर्तें -

(i) कम से कम उच्च द्वितीय श्रेणी के मास्टर के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड पुस्तकालय विज्ञान के अलावा किसी अन्य विषय में डिग्री।

(ii) प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री।

3. इसी प्रकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना दिनांक 20.2.1990 को लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए जारी किया गया। जिसके बाद G.O.Ms संख्या 12 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 10.1.1992 पर जारी किया गया था जो कि निम्नानुसार थे।

"डिग्री महाविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान में व्याख्यान:

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ पी. जी. की डिग्री उत्तीर्ण की हो। और प्रथम या द्वितीय श्रेणी के साथ पुस्तकालय विज्ञान में पी.जी. डिग्री 55 प्रतिशत और उससे अधिक अंकों के साथ।

या

जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर डिग्री कालेज में पुस्तकालय विज्ञान में व्याख्याता के पद के लिए पात्रता निर्धारित की गई हो।"

4. इसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने G.O.Ms No 208 दिनांक 29.6.1999 जारी किया जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए निम्नलिखित शर्तें बताई गई।

"यू. जी. सी. की सिफारिशों पर विचार करने के बाद पाँच सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों की सेवा की शर्तें जैसे भर्ती और योग्यता, चयन प्रक्रिया कैरियर उन्नति, शिक्षण के दिन, काम का बोझ, पेशेवर नैतिकता की संहिता, जवाबदेही आदि, इस आदेश के परिशिष्ट में बताए अनुसार होगी। इसे सभी विश्वविद्यालयों और डी. ओ. ई. द्वारा लागू किया जाएगा। इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने की समय सीमा में आवश्यक कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों में संशोधन होगा।

5. G.O.Ms संख्या 208 के परिशिष्ट में, लाइब्रेरियन (विश्वविद्यालय) के पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ इस प्रकार थी।

"(1) लाइब्रेरियन (विश्वविद्यालय)

(पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री/कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष दस्तावेजों के साथ यू. जी. सी. सात अंकों के पैमाने पर बी की डिग्री और लगातार अच्छी शैक्षणिक योग्यता।

((ii) किसी विश्वविद्यालय में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कम से कम तेरह वर्ष या अठारह वर्ष का अनुभव रिकॉर्ड;

(iii) नवीन पुस्तकालय सेवा और संगठन में प्रकाशित कार्य की साक्ष्य"।

6. यह विवाद में नहीं है कि इसमें पहला उतरादाता एक पद का धारक है जो राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री धारक है। उनके पास 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री भी है। चूंकि उनके मामले पर अपीलार्थी-संस्था द्वारा विचार नहीं किया गया है, जो उपरोक्त जी. ओ. Ms के संदर्भ में निर्धारित योग्यताओं पर या उनके आधार पर निर्भर है, इसलिए उन्होंने एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को आंशिक रूप से निम्नलिखित रूप में अनुमति दी गई थीः

"दूसरी ओर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. ओ. Ms. No 127 दिनांक 7-6-1993 के अनुसार, लाइब्रेरियन का पद सहायक

पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा बशर्ते उनके पास हो

यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित अर्हताएँ स्वीकार्य रूप से याचिकाकर्ता हालांकि मास्टर डिग्री है, उच्च द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं हुआ है और उन्होंने उच्च शिक्षा के साथ पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है हालाँकि याचिकाकर्ता योग्य नहीं है और नहीं है लाइब्रेरियन के पद पर पदोन्नति के लिए हकदार। तथ्य यह है कि उक्त एकल पद बी. सी. 'बी' श्रेणी के लिए आरक्षित है और यह अवैध है और आरक्षण के नियम के विपरीत। यह नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ। यदि पद आरक्षित नहीं है, तो कई और लोगों ने आवेदन किया होगा तीसरे उत्तरदाता के अतिरिक्त।

यह कहा गया है कि तीसरा उत्तरदाता जी. ओ. Ms संख्या 691 दिनांकित 16.11.1984 के अनुसार योग्य है और वह BC 'B' श्रेणी से संबंधित है। हालांकि वह एकल वर्ग के पक्ष में उक्त पद को आरक्षित करने के लिए योग्य है। नियमों में विचार नहीं किया गया है और अधिसूचना को केवल रद्द कर दिया गया है। इस आधार पर कि आरक्षण बी. सी. 'बी.' श्रेणी के पक्ष में किया गया था आरक्षण के नियम के उल्लंघन में"।

7. इसके खिलाफ एक अंतर-न्यायालय अपील को फिर से अनुमति दी गई है खंड पीठ के विवादित फैसले के कारण।

8. श्री सुब्बा राव, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील जिनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांकित परिपत्र पत्र 31.8.2000 के संदर्भ में निर्धारित योग्यता को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा घोषणा पत्र में पारित एक स्पष्ट त्रुटि मानी जानी चाहिए।

उक्त पत्र इस प्रकार हैः

"पत्राचार में, आइडियल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, काकीनाडा चयन प्रक्रिया के संबंध में जी. ओ. Ms संख्या 208 (UE.II-1) विभाग, दिनांक 29.6.1999 शिक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा है

इस संबंध में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के सभी पत्र व्यवहारियों को जी. ओ. Ms संख्या 12-एडन, दिनांक 10.1.1992 तक के संदर्भ में समिति आगे के आदेश"

तक चयन की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

10 यह विवाद में नहीं है कि जी. ओ. Ms.No 12 दिनांकित 10.1.1992 को जी. ओ. Ms.No 208 दिनांकित 29.6.1999 द्वारा प्रतिस्थापित। बाद के जी. ओ. में लाइब्रेरियन के लिए योग्यताए निर्धारित की गई जो कि कार्य प्रभाव में रहेगी।

11. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 31.8.2000 के कारण, समिति जैसा कि G.O.Ms में कहा गया है कि संख्या 12 दिनांकित 10.1.1992 का पालन अगले आदेश तक किया जाना चाहिए।

परिपत्र के कारण ना तो G.O.Ms न. 208 प्रभाव में आया एवं ना ही उक्त G.O. Ms. No 12/10.1.1992 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार परिपत्र में पूर्व G.O. Ms में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था।

12. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। इन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

कोई लागत नहीं।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बी.बी.बी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनीता बेड़ा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।